	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थीगण नं0 2 व 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल रहे। बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible] को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। बहस के दौरान प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम पोषाणा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 166 व 167 में आवागमन के लिए प्रार्थना पत्र के संलग्न मानचित्र में दर्शित निशानात B से C बिन्दु रास्ता 12 फीट चौड़ाई का भूमि खसरा नम्बर 154 व 164 के राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 27.12.2021 में नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाना प्रार्थनीय हैं। अप्रार्थीगण वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि खसरा नम्बर 155 व 164 एक ही काश्तकार कुम्भाराम पुत्र चन्द्राराम है। रास्ता लेने वाले खसरा नम्बर 166 व 167 सांवतराम मुकन्दसिंह इन्द्राजसिंह जो कुम्भाराम के सगे चचेरे भाई है। इसलिए अपने भाई से रास्ता लेने के लिए खसरा नम्बर 154 के स्थान पर 155 पर आवेदन करना चाहिए। खसरा नम्बर 154 में से कोई रास्ता मौके पर भी नहीं है और कभी भी आवागमन नहीं हुआ है। फिर भी खसरा नम्बर 154 में न्यायालय द्वारा रास्ता दिया जाता है तो उसमें खर्च जमीन के बदले में दुगुनी जमीन खसरा नम्बर 158 में से इन्हीं काश्तकारों के द्वारा 159 में जमीन समायोजित करवा दी जावे। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र, मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 27.12.2021 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 27.12.2021 के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि ग्राम पोषाणा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 166 व 167 में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 154 में से 130 X 4= 0.0520 है0 व खसरा नम्बर 1179/164 में से 70 X 4= 0.0280 है0 भूमि रास्ते के रूप में काम आयी हैं। इसके अलावा निकटतम कटाणशुदा रास्ता नहीं हैं। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 (क) स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 (क) स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम पोषाणा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 166 व 167 में आवागमन के लिए सलंग्न तहसीलदार उदयपुरवाटी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 27.12.2021 में नजरी नक्शे में दर्शित खसरा नम्बर 154 में से 130 X 4= 0.0520 है0 व खसरा नम्बर 1179/164 में से 70 X 4= 0.0280 है0 भूमि को राजकीय रास्ता कायम किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:43:08 IST
Reason: SelfAttested

जाता हैं। प्रार्थीगण उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले डी0 एल0 सी0 दर से दुगुना राशि तहसीलदार उदयपुरवाटी के पास जमा करवाऐ तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त जमा डी0 एल0 सी0 दर की दुगुना राशि को जिस खातेदार की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है, को नियमानुसार भुगतान करे तथा उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुए नक्शा ट्रेस में भी अंकित करें। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 27.12.2021 इस आदेश का हिस्सा रहेगी। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/4/22

उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:43:08 IST
Reason: SelfAttested